

**ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, उप-तहसील भड़ोली,
जिला कांगड़ा, हि0 प्र0**

किस्म मु0 :

तकसीम हुकमन

तारीख पेशी : 19-09-2025

उनवान मुकद्दमा :

1. अमित कुमार पुत्र चमन लाल, 2. अंकिता पुत्री चमन लाल, 3. सरोज कुमारी पत्नी स्व0 चमन लाल, 4. वनवारी लाल पुत्र भागमल, उपरोक्त समस्त वासीगण महाल कटोई, मौजा चौकाठ, उप-तहसील भड़ोली, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश . . वादीगण।

बनाम

1. कस्तूरी लाल पुत्र भागमल, 2. मुकन्द लाल पुत्र भागमल, 3. सुख राम पुत्र साधू राम, 4. जगदीश राम पुत्र साधू राम, 5. क्रोधू पुत्री साधू राम, 6. कौशल्या देवी पुत्री साधू राम, 7. प्रेम सिंह पुत्र ब्रह्म दास, 8. सुरिन्दर कुमार पुत्र सुदामा राम, 9. कशमीर सिंह पुत्र सुदामा राम, 10. प्रताप सिंह पुत्र सुदामा राम, 11. सुशील कुमार पुत्र सुदामा राम, 12. नितिन पटियाल पुत्र चतर सिंह, 13. सुषमा देवी विधवा चतर सिंह, 14. महिन्दर सिंह पुत्र मनसा राम, 15. राय सिंह पुत्र माधो राम, 16. पंकज कुमार पुत्र रमेश चंद, 17. बिस्सो देवी विधवा कांशी राम, 18. अनिल कुमार पुत्र लेख राज उपनाम देश राज, 19. रविन्दर कुमार पुत्र लेख राज उपनाम देश राज, 20. रमेश चन्द पुत्र लेख राज उपनाम देश राज, 21. धर्म चन्द पुत्र बतरीड़ा, 22. महिन्दर सिंह पुत्र फौन्दरी, 23. राय सिंह पुत्र फौन्दरी, 24. सोनू पुत्र फौन्दरी, 25. पार्वती पुत्री फौन्दरी, 26. कान्ता देवी पुत्री फौन्दरी, 27. पवन कुमार पुत्र फलातू, 28. निक्को देवी विधवा फलातू, 29. मनोहर लाल पुत्र जगत राम, 30. प्रीतम चन्द पुत्र जगत राम, 31. जागो देवी विधवा जगत राम, 32. रमेश चन्द पुत्र भगत राम, 33. प्रदीप कुमार पुत्र केहर सिंह निवासी गांव बेडली, मौजा व उप-तहसील भड़ोली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश प्रतिवादीगण।

विषय.—हि0प्र0भू0 राजस्व अधिनियम, 1954 की जेर धारा 123 के अन्तर्गत भूमि खाता नं0 129, खतौनी नं0 187 ता 200, खसरा कित्ता 31, रकबा तादादी 01-13-98 है0, जमाबन्दी वर्ष 2019-20, वाक्या महाल कटोई, मौजा चौकाठ, उप-तहसील भड़ोली, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 के भूमि विभाजन/तकसीम हेतु प्रार्थना-पत्र।

इशतहार

उपरोक्त विषय के संदर्भ में प्रार्थीगण ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय/कार्यालय में तकसीम हुकमन का मुकद्दमा दायर कर रखा है, जिसमें उपरोक्त दर्शाए गए प्रतिवादीगण में से प्रतिवादी नं0 3 से प्रतिवादी नं0 31 तक को समन साधारण तरीके/समन चस्पांगी से तामील न हो पा रहे हैं। इसलिए तकसीम हुकमन में सुने जाने के मौके के सिद्धांत को ध्यान से रखते हुए उपरोक्त सभी प्रतिवादीगण क्रमांक 3 ता0 31 को बजरिया इशतहार अखबार द्वारा सूचित किया जाता है कि वह असालतन या वकालतन हाजिर आकार तारीख पेशी 19-09-2025 को दोपहर 2.00 बजे उक्त मुकद्दमा की पैरवी करना सुनिश्चित करें। गैरहाजिरी होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे व बाद पेशी तारीख किसी भी प्रकार का उजर या एतराज स्वीकार न होगा।

आज दिनांक 29-08-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
भड़ोली, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, उप-तहसील भड़ोली,
जिला कांगड़ा, हि0 प्र0**

किस्म मु0 :

तकसीम हुकमन

तारीख पेशी : 19-09-2025

उनवान मुकद्दमा

:

1. अमित कुमार पुत्र चमन लाल, 2. अंकिता पुत्री चमन लाल, 3. सरोज कुमारी पत्नी स्व0 चमन लाल, 4. वनवारी लाल पुत्र भागमल, उपरोक्त समस्त वासीगण महाल कटोई, मौजा चौकाठ, उप-तहसील भड़ोली, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश . . वादीगण।

बनाम

1. कस्तूरी लाल पुत्र भागमल, 2. मुकन्द लाल पुत्र भागमल, 3. रण सिंह पुत्र सन्ता, 4. सुषमा देवी पुत्री लाल चन्द, 5. कुमारी अन्तरा पुत्री मनोज कुमार, 6. सुदर्शना देवी विधवा मनोज कुमार, 7. साहिल पुत्र स्व0 राजेश कुमार, 8. कसक पुत्री स्व0 राजेश कुमार, 9. शिवा कुमारी पुत्री स्व0 राजेश कुमार, 10. सुषमा देवी विधवा राजेश कुमार, 11. कृष्ण देवी विधवा हेम राज उपरोक्त समस्त वासीगण महाल कटोई, मौजा चौकाठ, उप-तहसील भड़ोली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश प्रतिवादीगण।

विषय.—हि0 प्र0 भू0 राजस्व अधिनियम, 1954 की जेर धारा 123 के अन्तर्गत भूमि खाता नं0 142, खतौनी नं0 217, 218, खसरा नं0 457, 459, 479, 478, कित्ता 4, रकबा तादादी 0-46-38 है0, जमाबन्दी वर्ष 2019-20 वाक्या महाल कटोई, मौजा चौकाठ, उप-तहसील भड़ोली, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 के भूमि विभाजन/तकसीम हेतु प्रार्थना-पत्र।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में प्रार्थीगण ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय/कार्यालय में तकसीम हुकमन का मुकद्दमा दायर कर रखा है, जिसमें उपरोक्त दर्शाए गए प्रतिवादीगण में से प्रतिवादी नं0 3 से प्रतिवादी नं0 11 तक को समन साधारण तरीके/समन चस्पांगी से तामील न हो पा रहे हैं। इसलिए तकसीम हुकमन में सुने जाने के मौके के सिद्धांत को ध्यान से रखते हुए उपरोक्त सभी प्रतिवादीगण क्रमांक 3 ता0 11 को बजरिया इश्तहार अखबार द्वारा सूचित किया जाता है कि वे असालतन या वकालतन हाजिर आकार तारीख पेशी 19-09-2025 को दोपहर 2.00 बजे उक्त मुकद्दमा की पैरवी करना सुनिश्चित करें। गैरहाजिरी होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे व बाद पेशी तारीख किसी भी प्रकार का उजर या एतराज स्वीकार न होगा।

आज दिनांक 29-08-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
भड़ोली, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, उप-तहसील भड़ोली,
जिला कांगड़ा, हि0 प्र0**

किस्म मु0 :

तकसीम हुकमन

तारीख पेशी : 19-09-2025

उनवान मुकद्दमा :

1. अमित कुमार पुत्र चमन लाल, 2. अंकिता पुत्री चमन लाल, 3. सरोज कुमारी पत्नी स्व० चमन लाल, 4. वनवारी लाल पुत्र भागमल, उपरोक्त समस्त वासीगण महाल कटोई, मौजा चौकाठ, उप-तहसील भड़ोली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . वादीगण।

बनाम

1. कस्तूरी लाल पुत्र भागमल, 2. मुकन्द लाल पुत्र भागमल, 3. रण सिंह पुत्र सन्ता, 4. सुषमा देवी पुत्री लाल चन्द, 5. कुमारी अन्तरा पुत्री मनोज कुमार 6. सुदर्शना देवी विधवा मनोज कुमार, 7. साहिल पुत्र स्व० राजेश कुमार, 8. कसक पुत्री स्व० राजेश कुमार, 9. शिवा कुमारी पुत्री स्व० राजेश कुमार, 10. सुषमा देवी विधवा राजेश कुमार, 11. कृष्ण देवी विधवा हेम राज, 12. भजन लाल पुत्र जोहण्डू, उपरोक्त समस्त वासीगण महाल कटोई, मौजा चौकाठ, उप-तहसील भड़ोली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश प्रतिवादीगण।

विषय.—हि० प्र० भू० राजस्व अधिनियम, 1954 की जेर धारा 123 के अन्तर्गत भूमि खाता नं० 141, खतौनी नं० 215, 216, खसरा नं० 469, 475, कित्ता 2, रकबा तादादी 0-13-73 है०, जमाबन्दी वर्ष 2019-20 वाक्या महाल कटोई, मौजा चौकाठ, उप-तहसील भड़ोली, जिला कांगड़ा, हि० प्र० के भूमि विभाजन/तकसीम हेतु प्रार्थना-पत्र।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में प्रार्थीगण ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय/कार्यालय में तकसीम हुकमन का मुकद्दमा दायर कर रखा है, जिसमें उपरोक्त दर्शाए गए प्रतिवादीगण में से प्रतिवादी नं० 3 से प्रतिवादी नं० 12 तक को समन साधारण तरीके/समन चस्पांगी से तामील न हो पा रहे हैं। इसलिए तकसीम हुकमन में सुने जाने के मौके के सिद्धांत को ध्यान से रखते हुए उपरोक्त सभी प्रतिवादीगण क्रमांक 3 ता० 12 को बजरिया इश्तहार अखबार द्वारा सूचित किया जाता है कि वह असालतन या वकालतन हाजिर आकार तारीख पेशी 19-09-2025 को दोपहर 2.00 बजे उक्त मुकद्दमा की पैरवी करना सुनिश्चित करें। गैरहाजिरी होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे व बाद पेशी तारीख किसी भी प्रकार का उजर या एतराज स्वीकार न होगा।

आज दिनांक 29-08-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
भड़ोली, जिला कांगड़ा, हि० प्र०।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, उप-तहसील भड़ोली,
जिला कांगड़ा, हि० प्र०

किस्म मु० : तकसीम हुकमन

तारीख पेशी : 19-09-2025

उनवान मुकद्दमा :

1. अमित कुमार पुत्र चमन लाल, 2. अंकिता पुत्री चमन लाल, 3. सरोज कुमारी पत्नी स्व० चमन लाल, 4. वनवारी लाल पुत्र भागमल, उपरोक्त समस्त वासीगण महाल कटोई, मौजा चौकाठ, उप-तहसील भड़ोली, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश . . वादीगण।

बनाम

1. कस्तूरी लाल पुत्र भागमल, 2. मुकन्द लाल पुत्र भागमल, 3. जितेन्द्र सिंह पुत्र ओम प्रकाश, 4. रविन्दर कुमार पुत्र ओम प्रकाश, 5. रजिन्दर कुमार पुत्र ओम प्रकाश, 6. तरसेम लाल पुत्र बाबू राम,

7. भूपेन्द्र सिंह पुत्र बाबू राम, 8. किरणा देवी पुत्री राज कुमार, 9. सुदेश कुमारी विधवा राज कुमार, उपरोक्त समस्त वासीगण महाल कटोई, मौजा चौकाठ, उप-तहसील भड़ोली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
प्रतिवादीगण।

विषय.—हि0 प्र0 भू0 राजस्व अधिनियम, 1954 की जेर धारा 123 के अन्तर्गत भूमि खाता नं0 102, खतौनी नं0 135, 137, खसरा नं0 613/461, 612/461, 462/465, कित्ता 4, रकबा तादादी 0-46-95 है0, जमाबन्दी वर्ष 2019-20 वाक्या महाल कटोई, मौजा चौकाठ, उप-तहसील भड़ोली, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 के भूमि विभाजन/तकसीम हेतु प्रार्थना-पत्र।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में प्रार्थीगण ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय/कार्यालय में तकसीम हुकमन का मुकद्दमा दायर कर रखा है, जिसमें उपरोक्त दर्शाए गए प्रतिवादीगण में से प्रतिवादी नं0 3 से प्रतिवादी नं0 9 तक को समन साधारण तरीके/समन चस्पांगी से तामील न हो पा रहे हैं। इसलिए तकसीम हुकमन में सुने जाने के मौके के सिद्धांत को ध्यान से रखते हुए उपरोक्त सभी प्रतिवादीगण क्रमांक 3 ता0 9 को बजरिया इश्तहार अखबार द्वारा सूचित किया जाता है कि वह असालतन या वकालतन हाजिर आकार तारीख पेशी 19-09-2025 को दोपहर 2.00 बजे उक्त मुकद्दमा की पैरवी करना सुनिश्चित करें। गैरहाजिरी होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे व बाद पेशी तारीख किसी भी प्रकार का उजर या एतराज स्वीकार न होगा।

आज दिनांक 29-08-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
भड़ोली, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, उप-तहसील भड़ोली,
जिला कांगड़ा, हि0 प्र0**

किस्म मु0 : तकसीम हुकमन

तारीख पेशी : 19-09-2025

उनवान मुकद्दमा :

1. अमित कुमार पुत्र चमन लाल, 2. अंकिता पुत्री चमन लाल, 3. सरोज कुमारी पत्नी स्व0 चमन लाल, 4. वनवारी लाल पुत्र भागमल उपरोक्त समस्त वासीगण महाल कटोई, मौजा चौकाठ, उप-तहसील भड़ोली, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश
. . वादीगण।

बनाम

1. कस्तूरी लाल पुत्र भागमल, 2. मुकन्द लाल पुत्र भागमल, 3. जितेन्द्र सिंह पुत्र ओम प्रकाश, 4. रविन्दर कुमार पुत्र ओम प्रकाश, 5. रजिन्दर कुमार पुत्र ओम प्रकाश उपरोक्त समस्त वासीगण महाल कटोई, मौजा चौकाठ, उप-तहसील भड़ोली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
प्रतिवादीगण।

विषय.—हि0 प्र0 भू0 राजस्व अधिनियम, 1954 की जेर धारा 123 के अन्तर्गत भूमि खाता नं0 100, खतौनी नं0 131, 132, खसरा नं0 251, 252, 420, 422, 267, 421, 425, कित्ता 7, रकबा तादादी 02-27-33 है0, जमाबन्दी वर्ष 2019-20 वाक्या महाल कटोई मौजा चौकाठ, उप-तहसील भड़ोली, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 के भूमि विभाजन/तकसीम हेतु प्रार्थना-पत्र।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में प्रार्थीगण ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय/कार्यालय में तकसीम हुकमन का मुकद्दमा दायर कर रखा है, जिसमें उपरोक्त दर्शाए गए प्रतिवादीगण में से प्रतिवादी नं० 3 से प्रतिवादी नं० 5 तक को समन साधारण तरीके/समन चस्पांगी से तामील न हो पा रहे हैं। इसलिए तकसीम हुकमन में सुने जाने के मौके के सिद्धांत को ध्यान से रखते हुए उपरोक्त सभी प्रतिवादीगण क्रमांक 3 ता० 5 को बजरिया इश्तहार अखबार द्वारा सूचित किया जाता है कि वह असालतन या वकालतन हाजिर आकार तारीख पेशी 19-09-2025 को दोपहर 2.00 बजे उक्त मुकद्दमा की पैरवी करना सुनिश्चित करें। गैरहाजिरी होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे व बाद पेशी तारीख किसी भी प्रकार का उजर या एतराज स्वीकार न होगा।

आज दिनांक 29-08-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
भड़ोली, जिला कांगड़ा, हि० प्र०।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, उप-तहसील भड़ोली,
जिला कांगड़ा, हि० प्र०**

किस्म मु० :

तकसीम हुकमन

तारीख पेशी : 19-09-2025

उनवान मुकद्दमा :

1. अमित कुमार पुत्र चमन लाल, 2. अंकिता पुत्री चमन लाल, 3. सरोज कुमारी पत्नी स्व० चमन लाल, 4. वनवारी लाल पुत्र भागमल, उपरोक्त समस्त वासीगण महाल कटोई, मौजा चौकाठ, उप-तहसील भड़ोली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . वादीगण।

बनाम

1. कस्तूरी लाल पुत्र भागमल, 2. मुकन्द लाल पुत्र भागमल, 3. जितेन्दर सिंह पुत्र ओम प्रकाश, 4. रविन्दर कुमार पुत्र ओम प्रकाश, 5. रजिन्दर कुमार पुत्र ओम प्रकाश उपरोक्त समस्त वासीगण महाल कटोई, मौजा चौकाठ, उप-तहसील भड़ोली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश प्रतिवादीगण।

विषय.—हि० प्र० भू० राजस्व अधिनियम, 1954 की जेर धारा 123 के अन्तर्गत भूमि खाता नं० 101, खतौनी नं० 133, 134, खसरा नं० 466, 467, 468, कित्ता 3, रकबा तादादी 0-21-08 है०, जमाबन्दी वर्ष 2019-20 वाक्या महाल कटोई, मौजा चौकाठ, उप-तहसील भड़ोली, जिला कांगड़ा, हि० प्र० के भूमि विभाजन/तकसीम हेतु प्रार्थना-पत्र।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में प्रार्थीगण ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय/कार्यालय में तकसीम हुकमन का मुकद्दमा दायर कर रखा है, जिसमें उपरोक्त दर्शाए गए प्रतिवादीगण में से प्रतिवादी नं० 3 से प्रतिवादी नं० 5 तक को समन साधारण तरीके/समन चस्पांगी से तामील न हो पा रहे हैं। इसलिए तकसीम हुकमन में सुने जाने के मौके के सिद्धांत को ध्यान से रखते हुए उपरोक्त सभी प्रतिवादीगण क्रमांक 3 ता० 5 को बजरिया इश्तहार अखबार द्वारा सूचित किया जाता है कि वह असालतन या वकालतन हाजिर आकार तारीख पेशी 19-09-2025 को दोपहर 2.00 बजे उक्त मुकद्दमा की पैरवी करना सुनिश्चित करें। गैरहाजिरी होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे व बाद पेशी तारीख किसी भी प्रकार का उजर या एतराज स्वीकार न होगा।

आज दिनांक 29-08-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
भड़ोली, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, उप-तहसील भड़ोली,
जिला कांगड़ा, हि0 प्र0**

किस्म मु0 :

तकसीम हुकमन

तारीख पेशी : 19-09-2025

उनवान मुकद्दमा :

1. अमित कुमार पुत्र चमन लाल, 2. अंकिता पुत्री चमन लाल, 3. सरोज कुमारी पत्नी स्व0 चमन लाल, 4. वनवारी लाल पुत्र भागमल, उपरोक्त समस्त वासीगण महाल कटोई, मौजा चौकाठ, उप-तहसील भड़ोली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . वादीगण।

बनाम

1. कस्तूरी लाल पुत्र भागमल, 2. मुकन्द लाल पुत्र भागमल, 3. धर्म चन्द पुत्र भागी, 4. शेर चन्द पुत्र भागी, 5. अमी चन्द पुत्र भागी, 6. सुमन कुमारी पुत्री मंगतू, 7. राजेश पुत्र हरनाम सिंह, 8. तनुज पुत्र हरनाम सिंह, 9. सरला देवी विधवा हरनाम सिंह, 10. रघवीर सिंह पुत्र मान चन्द, 11. गौरा देवी पुत्री मान चन्द, उपरोक्त समस्त वासीगण महाल कटोई, मौजा चौकाठ, उप-तहसील भड़ोली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश प्रतिवादीगण।

विषय.—हि0प्र0भू0 राजस्व अधिनियम, 1954 की जेर धारा 123 के अन्तर्गत भूमि खाता नं0 116, खतौनी नं0 167, 168, खसरा नं0 458, 488, 496, कित्ता 3, रकबा तादादी 0-61-78 है0, जमाबन्दी वर्ष 2019-20 वाक्या महाल कटोई, मौजा चौकाठ, उप-तहसील भड़ोली, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 के भूमि विभाजन/तकसीम हेतु प्रार्थना-पत्र।

इशतहार

उपरोक्त विषय के संदर्भ में प्रार्थीगण ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय/कार्यालय में तकसीम हुकमन का मुकद्दमा दायर कर रखा है, जिसमें उपरोक्त दर्शाए गए प्रतिवादीगण में से प्रतिवादी नं0 3 से प्रतिवादी नं0 11 तक को समन साधारण तरीके/समन चस्पांगी से तामील न हो पा रहे हैं। इसलिए तकसीम हुकमन में सुने जाने के मौके के सिद्धांत को ध्यान से रखते हुए उपरोक्त सभी प्रतिवादीगण क्रमांक 3 ता0 11 को बजरिया इशतहार अखबार द्वारा सूचित किया जाता है कि वह असालतन या वकालतन हाजिर आकार तारीख पेशी 19-09-2025 को दोपहर 2.00 बजे उक्त मुकद्दमा की पैरवी करना सुनिश्चित करें। गैरहाजिरी होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे व बाद पेशी तारीख किसी भी प्रकार का उजर या एतराज स्वीकार न होगा।

आज दिनांक 29-08-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
भड़ोली, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, उप-तहसील भड़ोली,
जिला कांगड़ा, हि0 प्र0**

किस्म मु0 :

तकसीम हुकमन

तारीख पेशी : 19-09-2025

उनवान मुकद्दमा :

1. अमित कुमार पुत्र चमन लाल, 2. अंकिता पुत्री चमन लाल, 3. सरोज कुमारी पत्नी स्व0 चमन लाल, 4. वनवारी लाल पुत्र भागमल उपरोक्त समस्त वासीगण महाल कटोई, मौजा चौकाठ, उप-तहसील भड़ोली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . वादीगण।

बनाम

1. कस्तूरी लाल पुत्र भागमल, 2. मुकन्द लाल पुत्र भागमल, 3. अनिल कुमार पुत्र लेख राज उपनाम देश राज, 4. रविन्दर कुमार पुत्र लेख राज उपनाम देश राज, 5. रमेश चन्द पुत्र लेख राज उपनाम देश राज उपरोक्त समस्त वासीगण महाल कटोई, मौजा चौकाठ, उप-तहसील भड़ोली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश प्रतिवादीगण।

विषय.—हि0प्र0भू0 राजस्व अधिनियम, 1954 की जेर धारा 123 के अन्तर्गत भूमि खाता नं0 106, खतौनी नं0 141, खसरा नं0 456, कित्ता 1, रकबा तादादी 0-16-85 है0, जमाबन्दी वर्ष 2019-20 वाक्या महाल कटोई, मौजा चौकाठ, उप-तहसील भड़ोली, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 के भूमि विभाजन/तकसीम हेतु प्रार्थना-पत्र।

इशतहार

उपरोक्त विषय के संदर्भ में प्रार्थीगण ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय/कार्यालय में तकसीम हुकमन का मुकद्दमा दायर कर रखा है, जिसमें उपरोक्त दर्शाए गए प्रतिवादीगण में से प्रतिवादी नं0 3 से प्रतिवादी नं0 5 तक को समन साधारण तरीके/समन चस्पांगी से तामील न हो पा रहे हैं। इसलिए तकसीम हुकमन में सुने जाने के मौके के सिद्धांत को ध्यान से रखते हुए उपरोक्त सभी प्रतिवादीगण क्रमांक 3 ता0 5 को बजरिया इशतहार अखबार द्वारा सूचित किया जाता है कि वह असालतन या वकालतन हाजिर आकार तारीख पेशी 19-09-2025 को दोपहर 2.00 बजे उक्त मुकद्दमा की पैरवी करना सुनिश्चित करें। गैरहाजिरी होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे व बाद पेशी तारीख किसी भी प्रकार का उजर या एतराज स्वीकार न होगा।

आज दिनांक 29-08-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
भड़ोली, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।